

कार्यालय कलेक्टर धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)

—:: विज्ञापन ::—

क्रमांक/5742/क/वित्त-भर्ती/DMF/2021

धमतरी, दिनांक 01/07/2021

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक एफ 7-34/2016/XII :: नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 मार्च 2021 द्वारा स्वीकृत पद संरचना अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, 2015 के नियम 26 के उप नियम (4) के तहत जिला-धमतरी खनिज संस्थान न्यास हेतु स्वीकृत पदों की भर्ती हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ.ग.) पिन कोड 493773 के नाम से प्रेषित किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 23.07.2021 शाम 05:30 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिये। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। विज्ञापित पद का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	पद का नाम	एकमुश्त मासिक संविदा वेतन	रिक्त पद की संख्या
01.	विकास सहायक	75,000/-	01 (अनारक्षित)
02.	लेखापाल	18,420/-	01 (अनारक्षित)
03.	सहायक ग्रेड-03	14,200/-	01 (अ.ज.जा.) 01 (अनारक्षित)
04.	भृत्य	11,360/-	01 (अनारक्षित)

पद का विवरण :-

01. विकास सहायक -

1.1 दायित्व :- जिले के खनन एवं खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्र के भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक परिवेश का सूक्ष्म अध्ययन कर आवश्यकतानुसार योजनाओं को तैयार करना। योजनाओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में न्यास की सहायता करना। न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप अभिनव परियोजनाओं को तैयार करने एवं बेहतर क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण का दायित्व भी होगा। न्यास के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन।

1.2 चयन की प्रक्रिया :- जिला स्तर पर कलेक्टर/पदेन अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास की अध्यक्षता में निर्धारित अर्हता अनुसार मेरिट एवं कार्य अनुभव के आधार पर साक्षात्कार द्वारा चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। (न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत का भारांश अंक अधिकतम 50 अंक होगा, 01 वर्ष तक के अनुभव पर 05 अंक तथा अधिकतम 03 वर्ष से अधिक अनुभव पर 15 अंक, साक्षात्कार पर अधिकतम 35 अंक प्रदान किया जायेगा। कुल अंक 100 होगा।)

1.3 अर्हता :-

01. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा समतुल्य ग्रेड के साथ उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रबंधन (Management) में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा।

02. Prime Minister's Rural Development Fellows Scheme (PMRDF) में Fellow के रूप में कार्य करने अथवा संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव अनिवार्य।

1.4 सेवा की अवधि :- संविदा नियुक्ति 03 वर्षों के लिये होगी। प्रदर्शन के आधार पर संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

1.5 आयु सीमा :- नियुक्ति वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

1.6 वेतनमान :- निश्चित वेतन रुपये 75,000/- प्रतिमाह।

1.7 अनुभव :- शासकीय विभाग/शासकीय संस्थान के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

1.8 प्रशिक्षण :- आवश्यकतानुसार।

टीप :- उपरोक्त कंडिका 1.3 अनुसार निर्धारित अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जायेगा यदि उपलब्ध नहीं होता है, तो आवश्यक होने पर विकल्प के रूप में निम्नलिखित अर्हताधारी अभ्यर्थी के नाम पर विचार किया जायेगा :-

“प्रबंधन स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा के साथ शासकीय विभाग/शासकीय संस्थान में पी.एम.आर.डी.एफ. (Prime Minister Rural Development Fellow) अथवा संबंधी क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव”।

02. लेखापाल –

2.1 दायित्व :- जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा संचालित योजनाओं/परियोजनाओं में होने वाले व्यय का लेखा संधारण करना, मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार करना एवं छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के नियम 25 में उल्लेखित कार्यों का सम्पादन करना। इसके अतिरिक्त न्यास के बजट एवं वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कार्यों का सम्पादन। न्यास के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन।

2.2 चयन प्रक्रिया :- राज्य शासन के विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति से लिया जावेगा। उपलब्ध नहीं होने पर सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-एक (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) को संविदा से लिया जा सकेगा।

2.3 अनुभव :- 05 वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। शासकीय विभाग/शासकीय संस्थान के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

2.4 वेतन :- वेतनमान रुपये 18420.00 एकमुश्त मासिक संविदा वेतन।

2.5 प्रशिक्षण :- छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग एवं अन्य विभागों से संबंधित निर्देशों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 से संबंधित नियम, निर्देशों के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2.6 जिला स्तर पर कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास की अध्यक्षता में चयन समिति के माध्यम से किया जावेगा।

टीप:- उपरोक्त कंडिका 2.2 एवं 2.3 के अनुसार अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। उपरोक्त अर्हताधारी अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होता है, तो आवश्यक होने पर विकल्प के रूप में निम्नलिखित अर्हताधारी अभ्यर्थी के नाम पर विचार किया जायेगा –

01. न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ बैचलर ऑफ कॉमर्स की परीक्षा उत्तीर्ण।
02. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति।
03. किसी शासकीय विभाग/शासकीय संस्थान से लेखा संबंधी कार्य में कम से कम 01 वर्ष का अनुभव। शासकीय विभाग/शासकीय संस्थान के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
04. आयु सीमा सामान्य प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार।

चयन का तरीका :-

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 100 अंक का Weightage देते हुए	60
कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा)	30
शासकीय विभाग/शासकीय संस्थान से लेखा संबंधी अनुभव :-	
01 वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक अधिकतम अंक	10

03. सहायक ग्रेड 03 –

3.1 दायित्व :- जिला खनिज संस्थान न्यास कार्यालय की नस्तियों का संधारण, पत्राचार, सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार नियमों का परीक्षण कर अनुमोदन हेतु नस्ती का अग्रेषण। डीएमएफ पोर्टल का संधारण एवं अद्यतन किया जाने का दायित्व होगा एवं सक्षम अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्व का निर्वहन।

3.2 चयन की प्रक्रिया :- राज्य शासन के विभिन्न विभागों के प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा में जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा संविदा नियुक्ति तीन वर्षों के लिये, प्रदर्शन के आधार पर संविदा नियुक्ति की अविध में वृद्धि की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप नियुक्ति किया जायेगा।

3.3 अर्हता :-

01. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण।

02. मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र अनिवार्य।

3.4 वेतन :- वेतनमान रुपये 14200.00 एकमुश्त मासिक संविदा वेतन।

3.5 अनुभव :- शासकीय विभाग/शासकीय संस्थान के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

चयन का तरीका :-

हायर सेकेण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	60
कम्प्युटर प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा)	30
शासकीय विभाग/शासकीय संस्थान में समान कार्य का अनुभव :-	
01 वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक अधिकतम अंक	10

04. मृत्यु -

- 4.1 चयन का तरीका :- जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में चयन समिति के माध्यम से।
- 4.2 अर्हता :- मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण।
- 4.3 वेतन :- वेतनमान रुपये 11360.00 एकमुश्त मासिक संविदा वेतन।

नियम एवं अन्य शर्तें :-

01. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
02. संविदा पत्र नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन या मृत्यु लाभ की पात्रता नहीं होगी।
03. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
04. आयु सीमा - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग के द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार होगी। सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिये दी जा सकेगी।
05. विकास सहायक के पद हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। लेखापाल, सहायक ग्रेड 03 एवं मृत्यु पद हेतु धमतरी जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।
06. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जिसमें योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
07. अजजा/अजा/अपिव वर्ग के उम्मीदवारों को जाति की पुष्टि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
08. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मान्य होगा।
09. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. विज्ञापित दर के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ए-4 साईज पेपर पर किये जावे। लिफाफे के ऊपर आवेदित पत्र का नाम स्पष्ट रूप में उल्लेखित करना होगा, इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ 5/- रु. का डाक टिकट लगा हुआ स्वयं का पूर्ण पता लिखित दो लिफाफा पृथक से संलग्न करना होगा।
11. आवेदन पत्र के निर्धारित सीन पर आवेदक के द्वारा स्वयं की नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो स्वप्रमाणित कर चस्पा करना आवश्यक है।
12. अपूर्ण/अस्पष्ट/त्रुटिपूर्ण/हस्ताक्षर विहीन/आरक्षण के विपरीत/वांछित अर्हता, योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न होना नहीं पाये जाने तथा निर्धारित अर्हता व योग्यता नहीं रखने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा, जिसकी पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी तथा जिसके लिये आवेदक स्वतः उत्तरदायी होगा।
13. आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ.ग.) पिन-493773 में दिनांक 23.07.2021 सायं 05.30 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से या विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

14. शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वशासी संस्थाओं में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को आपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण के संबंध में नियुक्तकर्ता प्राधिकारी का निर्णय/आदेश अंतिम व बंधनकारी होगा।
16. अन्य शर्तें छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अनुरूप होंगे।
17. परिस्थिति वश एवं आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा विज्ञापित पूर्ण भाग/आंशिक भाग निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार नियुक्तकर्ता प्राधिकारी को होगा।
18. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो उच्चतर योग्यता के आधार पर बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
19. विज्ञापन से संबंधित शर्तें व नियम, आवेदन पत्र के प्रारूप का अवलोकन कार्यालयीन सूचना फलक के अतिरिक्त कार्यालय जिला पंचायत के सूचना पटल पर भी किया जा सकेगा, साथ ही वेबसाइट <https://dhamtari.gov.in> पर देखा जा सकता है।

संलग्न :- आवेदन पत्र का प्रारूप।

पृ.क्रमांक/5743/क/वित्त-मर्ती/DMF/2021
प्रतिलिपि :-


 कलेक्टर
 जिला-धमतरी (छ.ग.)
 धमतरी, दिनांक 09/07/2021

01. व्यवस्थापक, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव, छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ खण्ड चार द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जिला धमतरी। उक्त विज्ञापन को <https://dhamtari.gov.in> में अपलोड करने हेतु।
05. उप संचालक, जनसम्पर्क जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ। आप उक्त विज्ञापन को प्रादेशिक एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
06. कार्यालयीन सूचना फलक पर चस्पा कर प्रकाशनार्थ।


 कलेक्टर
 जिला-धमतरी (छ.ग.)

प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें

प्रति,

कलेक्टर
धमतरी,
जिला-धमतरी (छ.ग.)

- | | | | |
|-----|--------------------------------|----|--------------------------------|
| 01. | आवेदित पद का नाम | :— | |
| 02. | पद क्रमांक | :— | |
| 03. | आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) | :— | |
| | (अंग्रेजी में) | :— | |
| 04. | पिता/पति का नाम | :— | |
| 05. | वर्ग (अना/अजा/अजजा/अपिव) | :— | |
| 06. | लिंग (महिला/पुरुष) | :— | |
| 07. | अ. जन्मतिथि अंकों में | :— | |
| | ब. शब्दों में | :— | |
| 08. | दिनांक 01.01.2021 को आयु | :— | वर्ष माह दिन |
| 09. | अ. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता | :— | |

ब. स्थायी पता

- | | | | |
|-----|--|----|-------|
| 10. | मोबाइल नम्बर | :- | |
| 11. | रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | :- | |
| 12. | शैक्षणिक योग्यता | :- | |

[illegible]

13. अनुभव :-

क्रं.	पद का नाम	नियोक्ता का पदनाम एवं कार्यालय	कार्य का स्वरूप	कार्यावधि (दिनांक से दिनांक तक)	कुल अनुभव	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07

14. अन्य कोई जानकारी यदि हो तो :-

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

टीप :- शैक्षणिक योग्यता, जाति, मूलनिवासी, योग्यता अनुभव/अनापत्ति, व्यावसायिक योग्यता, रोजगार पंजीयन प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की सूची :-

- | | |
|----------|----------|
| 01. | 02. |
| 03. | 04. |
| 05. | 06. |
| 07. | 08. |
| 09. | 10. |

-:: घोषणा पत्र ::-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवके से पूर्णतः सत्य है। इसमें से कोई भी जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी को बिना बताये मेरे आवेदन/चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम